हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

42 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक

28–12–06

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1–सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2–सचिव, आवास विभाग, उत्तरांखण्ड, देहरादून।
3–सचिव, तीर्थाटन/ पर्यटन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4–सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5–सचिव, पयेजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6–जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोज, उत्तरांखण्ड,देहरादून।
8–अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
9–अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
10–अध्यक्ष, नगरपंचायत मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल।
11–अध्यक्ष, नगर पंचायत, रानीपुर, हरिद्वार।
12–सन्त महेन्द्र सिंह,निर्मल सन्तपुरा आश्रम, कनखल(नामित सदस्य)
13–श्री अशोक सेठी, ज्वालापुर(नामित सदस्य)
14–श्री सुनील प्रभाकर, उपाध्यक्ष, गंगा सेवा समिति एवं कोषाध्यक्ष ट्रक यूनियन, तिलक रोड, ऋषिकेश।

417 पत्रांक / प्रशा0–2(ग)–1–6/ 2006–07 दिनांक 27 जनवरी,2007

विषय हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 42 वी बोर्ड बैठक दिनांक 28–12–2006 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण की 42 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–12–2006 को अपराहन 4.00 मेला नियंत्रण भवन, रोड़ी बेलवाला, हरिद्वार में अध्यक्ष/ आयुक्त , गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानसार।

भवदीय

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष/ आयुक्त , गढ़वाल मण्डल, देहरादून को सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
3. मु0वि0अ0 / अधि0अभि0 / स्हा0अभि0 को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संबंधित अनुभाग के अधि0/ कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।

सचिव

अनुकमणिका

मद संख्या	विषय	पृष्ठ सं0
	भाग–अ	
मद सं0–42(1)	प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–4–2006 के कार्यवृत्त का अनुपालन	
मद सं0–42(2)	प्राधिकरण की 41 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04–10–2006 के कार्यवृत्त का अनुपालन	1–11
	भाग–ब	
मद सं0–42(3)	अध्यक्ष, जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में खाली पड़ी भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	12
मद सं0–42(4)	श्री आशीष अग्रवाल व श्री लवीश अग्रवाल पुत्रगण श्री डी0के0 अग्रवाल द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण –ऋषिकेश मार्ग श्यामपुर में बिना स्वीकृत किये गये अवैध निर्माण को शमन कराये जाने से पूर्व भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।	13
मद सं0–42(5)	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द, श्रीराम रिसोर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानचित्र सं0–मान/हरि0/25/ 2006–07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	13
मद सं0–42(6)	डा0 रोजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एम0डी0 स्नेह सोनिया इन्टरनेशनल होटल प्रा0लि0 द्वारा ग्राम घुघत्यानी तल्ली बदीनाथ रोड, जिला–टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक होटल का भवन मानचित्र सं0– मान/ ऋषि0/ 17/ 2006–07 की स्वीकृति से पूर्व भू–परिवर्तन के सम्बन्ध में।	14–15
मद सं0–42(7)	हरिद्वार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को विस्थापित योजना मानते हुये सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भूखण्ड आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	16
मद सं0–42(8–12)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत ,जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं सिडकुल क्षेत्र की रिक्त सरप्लस भूमि को प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जाने हेतु हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।	17–18
मद सं0–42(9)	प्राधिकरण में रिक्त नगर नियोजक के रिक्त पद पर शासन से नियुक्ति होने की प्रत्याशा में अनुबन्ध पर सेवानिवृत्त नगर नियोजक को रखे जाने के सम्बन्ध में।	19
मदसं0–42(10)	प्राधिकरण में रिक्त विधि सहायक के रिक्त पद पर शासन से नियुक्ति होने की प्रत्याशा में अनुभवी अधिवक्ता को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	20
मद सं0–42(11)	प्राधिकरण में भू–अर्जन से संबंधित प्रकरणों के लिये एक तहसीलदार व लेखपाल का पद सृजन का प्रस्ताव व शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में एक सेवा निवृत्त तहसीलदार व लेखा को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	21
मद सं042(13)	आवास विकास परिषद की कालोनियों के सौन्दीयकरण एवं अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।	22
मदसं0–42(14)	श्री किशन स्वरूप सिंह चौकीदार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रूपये–56,950.00 का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	23
मद सं0–42(15)	प्राधिकरण में कार्यरत 16 दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कम में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	23 24
मद सं042(16)	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति एवं अवैध निर्माणों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	25
मदसं0 42(17)	हरिपुर कलॉ देहरादून के खसरा नं0–92(ख) देहली नीति पास रोड पर बी0पी0 कारपोरेशन लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं0–नो0/हरि0/ 242/ 2006–07 को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	26–27
मदसं0 42(18)	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	27

भाग—(अ)

मद संख्या—42 (1)

विषयः—प्राधिकरण की 40 वी बोर्ड बैठक दिनांक 28—04—06 के कार्यवृत्त का अनुपालनः—

भाग—(अ)

क0सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
मद सं0—40(1) 34—01(1)	अन्तर्राज्यीय बस अड्डा	जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में प्रश्नगत भूमि उत्तरांचल सरकार के नियन्त्रण में है। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण करने हेतु प्रमुख सचिव आवास, उत्तरांचल शासन को अनुरोध किया जा चुका है। विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शहर में प्रति वर्ष होने वाले पर्वो तथा अर्द्ध / कुम्भ मेलो मे पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत ऋषिकुल की उक्त भूमि पर ही अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाय। यदि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण सम्भव न हो तो इस भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित रखा जाय। हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन को अनुस्मारक प्रेषित किया जाय तथा उसकी प्रति आयुक्त को भी प्रेषित की जाय।	निर्णय के अनुपालन में शासन को अनुस्मारक पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या 494 दिनांक 18.05.06 एवं 1396 दिनांक 20.07.06 द्वारा प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति आयुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार को भी प्रेषित की गयी है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 42 वी. बोर्ड बैठक दिनांक 28—12—2006 का कार्यवृत्त :—

प्राधिकरण की 42 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28—12—2006 को अध्यक्ष /आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष, मेला भवन हरिद्वार के समागार में आयोजित की गयी :—

उपस्थिति :—

1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त गढवाल मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री कुँवर राजकुमार, उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3. श्री आर0के0सुधांशु , जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदेन सदस्य
4. श्री एन0एन0थपलियाल, अपर सचिव वित्त	पदेन सदस्य
5. श्री बृज बी0रतन, एस0टी0सी0पी0 उत्तरांचल, देहरादून	पदेन सदस्य
6. श्री मनोज द्विवेदी, अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनिकीरेती	पदेन सदस्य
7. श्री सन्त महेन्द्र सिंह, हरिद्वार	नामित सदस्य,
8. श्री अशोक सेठी, हरिद्वार	नामित सदस्य,
9. श्री सुनील प्रभाकर ,ऋषिकेश	नामित सदस्य
10.श्री दिनेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून	पदेन सदस्य के नामित प्रतिनिधि
11.श्री विनय गुप्ता, सहायक अभियन्ता, नगरपालिका हरिद्वार	पदेन सदस्य के नामित प्रतिनिधि

सर्व प्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री कुँवर राजकुमार द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चाात् अध्यक्ष /आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी :—

मद संख्या—42 (1)

विषय—प्राधिकरण की 40वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28—04—06 के कार्यवृत्त का अनुपालनः—

भाग—(अ)

मद सं0—40(1) 34—01 (1) विषय : **अन्तर्राज्यीय बस अड्डा**

प्रश्नगत भूमि उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन है, अतः जिलाधिकारी द्वारा इसे प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव आवास से अनुरोध किया गया है। गत बैठक में निर्णय लिया गया था कि कुम्भ मेला की पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत ऋषिकुल की भूमि पर अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाय और यदि ऐसा सम्भव न हो तो इस भूमि को पार्किंग

Secretary | Vice Chirman 16.07.07 | Chairman/Commissioner

2 मद सं0–40(1) 34–03(4)	**भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलैक्स।**	निर्णय लिया गया कि भल्ला कालेज के मैदान की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल निर्माण का कार्य नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा किया जाय तथा इस पर होने वाले व्यय को नगर पालिका, हरिद्वार एवं ह0वि0प्रा0 द्वारा आध–आधा अवस्थापना विकास निधि से वहन किया जाय। इसके अतिरिक्त कृषि फार्म वाली भूमि पर इनडोर स्टेडियम का निर्माण नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन से धन प्राप्त कर नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा कराया जाय। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।	एजेन्डा मद से समाप्त।
3 मद सं0–40(1) 37–(06)	**प्राधिकरण की अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे।**	(अ) निर्णय लिया गया कि इन 15 कालोनियों में अवशेष आवश्यक विकास कार्यो का हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराकर आंगणन आदि तैयार किये जाय तथा इन विकास कार्यो को पूर्ण करने हेतु कालोनियों के अवैध निर्माणकताओं से आवश्यक धनराशि की वसूली हेतु ह0वि0प्रा0 द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय। (व) इसके अतिरिक्त द्वितीय फेज में अवशेष अवैध कालोनियां(कौरा देवी कालोनी–खड़खड़ी को सम्मिलित करते हुये) जिनका भू–उपयोग आवासीय से भिन्न है, के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण कर आख्या आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित की जाये।	(अ) नियमितीकरण किया जा चुका है। वसूली की कार्यवाही अवशेष है। (व) समिति द्वारा परीक्षण की कार्यवाही अवशेष है।

...ब्ध कराने हेतु शासन को अनुस्मारक भेजा जा चुका है तथा उसकी प्रति आयुक्त एवं जिलाधिकारी हरिद्वार को पृष्ठांकित करते हुये अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40(1) 34–03 (4) विषय – भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलैक्स।

भल्ला कालेज के मैदान की भूमि पर बाउन्डरी वाल के निर्माण का कार्य नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जिस पर होने वाला व्यय आधा–आधा नगरपालिका एवं विकास प्राधिकरण (अवस्थापना निधि)) द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषि फार्म वाली भूमि पर इनडोर स्टेडियम का निपर्माण भी शासन से स्वीकृति प्राप्त करके नगरपालिका परिषद द्वारा कराये जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40(1) 37–(06) विषय – प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे। :

जिन 15 कालोनियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है उनके संबंध में नियमितीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा रहीं है, जिसे समिति से पूर्ण करने की अपेक्षा की गयी। द्वितीय चरण मं अवशेष अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, इसे शीघ्र पूरा किया जाय।

मद सं0–40(1) 38–02 विषयः – हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का प्रस्तावित आय–व्ययक।

विगत बैठक में वर्ष 2004–05 के पुनरीक्षित तथा वर्ष 2005–06 के प्रस्तावित आय–व्ययक का अवलोकन बोर्ड द्वारा किया जा चुका है।

सहमति व्यक्त करते हुये एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40(1) 38–03 विषय – प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना में सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के भूखण्डो के निस्तारण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण :–

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण की आवासीय सम्पत्तियों के सन्दर्भ में नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही करते हुये आरक्षण के प्राविधानों का पालन करते हुये सम्पत्तियों का निस्तारण किया जाय तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण मुहरबन्द निविदाओं के द्वारा किया जाय।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

4 मद सं0–40(1) 38–02	**हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का प्रस्तावित आय–व्ययक।**	प्रस्तुत आय व्ययक का अवलोकन किया गया। मद एजेण्डा से समाप्त किया जाय।	एजेन्डा मद से समाप्त।
5 मद सं0–40(1) 38–03	**प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना में 10 प्रतिशत सम्पत्ति के निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों के विक्रय हेतु प्राप्त मुहर बन्द निविदाओं / आवेदनों आवंटन एवं शेष 90 प्रतिशत सम्पत्ति / भूखण्डो के विकय हेतु मूल्य / दर निर्धारण हेतु**	प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवासीय सम्पत्तियों को अन्य प्राधिकरणों भाँति पंजीकरण खोलकर आरक्षण के अनुसार विकय / आंवटन किया जाय तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों का विकय मुहरबन्द नीलामी के द्वारा ही किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।	एजेन्डा मद से समाप्त
6 मद सं0–40(1) 38–04	**इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में माह जून–05 में की गयी निविदाओं पर चर्चा**	विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि दोनों योजनाओं में प्राथमिकता पर नियमानुसार विकास कार्य पूर्ण कर योजनायें विकसित की जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।	एजेन्डा मद से समाप्त । प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7 मद सं0–40(1) 38–06	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों में लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक	निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष / आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित किया जाय।	चूँकि शासनादेश सं0–1014 दिनांक 12–3–2001 प्राधिकरण की 38 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–7–05 के मद सं0–06 में पहले ही अंगीकृत हो चुका है, अतः समयमान वेतनमान लागू करने में कोई कठिनाई नही है। शासनादेश अंगीकृत होने के उपरान्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा सकता है। प्रकरण बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।
8 मद सं0–40(1) 38–9(1)	(1) बहादराबाद क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की स्वीकृति	प्रभारी ग्राम्य एवं नगर नियोजक द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी तदानुसार उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा शमन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त। प्राधिकरण स्तर से शमन की कार्यवाही की जा रही है।

मद स0–40(1) 38–04. विषय – इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में माह जून–05 में की गयी निविदाओं पर चर्चा ।

गत बैठक में निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त दोनों योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराते हुयें योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाय। प्राधिकरण द्वारा इन योजनाओं पर कार्य शुरू कराया जा चुका है तथा बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

मद सं0– मद सं0–40(1) 38–06 विषय – प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों में लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक

प्राधिकरण के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में 38वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 31–07–2005 को प्रसंगाधीन शासनादेश अंगीकृत किया जा चुका है, अतः निर्णय लिया गया कि इस संबंध में शासन को अनुस्मारक भेजते हुये शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय।

उक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40(1) 38–9(1) विषय : (1) बहादराबाद क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की स्वीकृति

बहादराबाद क्षेत्र में पेट्रोल पम्प के शमन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है।
प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं 0–40(1) 38–9(5) विषय : (5) बाईपास सड़क से भारत माता मन्दिर तक सड़क सुधार कार्य हेतु ह0वि0प्रा0 को मेला निधि से प्राप्त धनराषि रूपये– 20.77 लाख विषयक।

उक्त विषय पर गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मेला निधि की धनराशि अर्द्धकुम्भ मेला अधिष्ठान को पत्र संख्या 1648 दिनांक 05–08–2006 के माध्यम से समर्पित की जा चुकी है।
प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

9 मद सं0—40(1) 38—9(5)	**(5) बाईपास सड़क से भारत माता मन्दिर तक सड़क सुधार कार्य हेतु ह0वि0प्रा0 को मेला निधि से प्राप्त धनराशि रूपये— 20.77 लाख विषयक।**	अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य पर संशोधित आंगणन कुल रूपये— 66.00 लाख का है। विस्तृत चर्चा उपरान्त मेलाधिकारी (जिलाधिकारी—हरिद्वार) की सहमति से निर्णय लिया गया कि ह0वि0प्रा0 में उपलब्ध मेला निधि की धनराशि रूपये— 20,38,583.00 को तत्काल नगर पालिका परिषद को उपलब्ध करा दिया जाय तथा अवशेष व्यय हेतु रूपये— 12,61,417.00 का भुगतान प्राधिकरण द्वारा कार्य पूर्ण होने पर अवस्थापना विकास निधि से नगर पालिका को उपलब्ध करा दिया जाय । अवशेष व्यय नगर पालिका द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।	निर्णय के अनुपालन एवं आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 24.07.06 के अनुपालन में अवशेष राशि रूपये—20,38,583.00 कार्यालय पत्र संख्या—1648 दिनांक 05.08.06 के द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला—2004, हरिद्वार को वापस की जा चुकी है जिसकी सूचना अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को भी प्रेषित की यी है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त।
10 मद सं0—40(2)	**प्राधिकरण की 39 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26—12—05 में परिचालन विधि के माध्यम से प्राधिकरण भवन उपविधि में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन ।**	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।	बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने पर एजेन्डा मद से समाप्त माना जाये।

मद सं0—40(2) विषयः प्राधिकरण की 39 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26—12—05 में परिचालन विधि के माध्यम से प्राधिकरण भवन उपविधि में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन ।

प्राधिकरण की भवन उपविधियों में संशोधन गत बैठक में प्रस्तुत किये जा चुके हैं, अतः इस पर नियमानुसार प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जाय।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0—40(3) विषय : प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005—06 का पुनरीक्षित (वास्तविक) आय— व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2006—07 का प्रस्तावित आय—व्ययक अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर गत बोर्ड बैठक में वर्ष 2005—06 के वास्तविक आय—व्ययक का अवलोकन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक का भी गत बोर्ड बैठक में प्रस्तुतीकरण किया गया था। वर्ष 2005—06 पुनरीक्षित (वास्तविक) आय—व्ययक की स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2006—07 के प्रस्तावित आय—व्ययक में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं जिसे इस बैठक में पुनः मद संख्या 42 (18) — (5) पर रखा गया है।

प्रकरण वर्तमान एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0—40(04) विषय : ट्रान्सपोर्ट नगर हरिद्वार में सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं आवंटन प्रकिया के सम्बन्ध में

गत बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि का मूल्यांकन रू0 5500.00 प्रति वर्गमीटर से पुनरीक्षित करते हुये रू0 6400.00 ऑकलित किया गया था, जिसे शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया था। शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 28—08—2006 के अनुसार मूल्यांकन दर रू0 6400.00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी है। इसी दर पर पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि आवंटन में आरक्षण के प्राविधानों का पालन किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित व्यवसायिक भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0—40(05) विषय : इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—2 में ग्रुप हाउसिंग योजना के सम्बन्ध में ।

ग्रुप हाउसिंग की उपरोक्त योजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलामी करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। जहां तक आरक्षण आदि से संबंधित पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना में समायोजित करने का प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्रुप हाउसिंग से संबंधित शासनादेश के प्राविधानों का पालन कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

16.01.07

Secretary　　Vice Chirman　　Chairman/Commissioner

11 मद सं0– 40(3)	**प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005–06 का पुनरीक्षित (वास्तविक) आय– व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2006–07 का प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**	प्राधिकरण के लेखाकार श्री एस0पी0राणा द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तथा प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं प्रस्तावित समस्त योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया । प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की अध्यक्ष / आयुक्त महोदय द्वारा सराहना की गयी तथा सर्व सम्मत्ति से वित्तीय वर्ष 2005–06 के वास्तविक आय–व्ययक का अवलोकन कर वित्तीय वर्ष 2006–07 के कुल रूपये– 7580.65 लाख की आय एवं कुल रूपये– 7535.25 लाख के व्यय हेतु प्रस्तुत आय–व्ययक का अनुमोदन किया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त।

12 **मद सं0–40(04)**	**<u>ट्रान्सपोर्ट नगर हरिद्वार में सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं आवंटन प्रकिया के सम्बन्ध में</u>**	प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई तथा उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के अन्दर स्थापित ट्रान्सपोर्टर व ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थाय से जुड़े मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन , पेन्टर आदि को शहर के अन्दर से विस्थापित करते हुये उन्हे प्रस्तावित नई योजना में स्थापित करना है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2005–06 में इस योजना का मूल्यांकन करते हुये रू0 5500.00 प्रति वर्ग मी0 का निर्धारण किया गया था लेकिन एक साल के अन्तराल के बाद विकास दरों में बढ़ोत्तरी होने के कारण मूल्यांकन पुनः निर्धारण किया गया जिसके अनुसार मूल्यांकन रू0 6400.00 प्रति वर्ग मी0 आंकलित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान में ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु पूव में निर्धारित रेट रू0 5500.00 प्रति वर्ग मी0 ही रखा जायें तथा बढ़ी हुई आंकलित दरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को भेजा जाये।	निणर्य के अनुपालन में पत्र संख्या–901/दिनांक 17–6–06 अध्यक्ष / आयुक्त महोदय की ओर से शासन को प्रेषित किया गया था । शासन से पत्र संख्या–2137/दि0–28–8–06 प्राप्त हुआ है जिसमें रू0–5500.00 के स्थान पर निर्धारित की गयी दर रूपये–6400.00 के अनुसार पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड आवंटन आरक्षण अनुसार किये जाने एवं इसी दर को आरक्षित मानते हुए व्यवसायिक भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विकय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

13 मद सं0–40(05)	**इन्दलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग योजना के सम्बन्ध में**	उपाध्यक्ष द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत 10.50 एकड़ भूमि में ग्रुप हाऊसिंग को निविदा के माध्यम से आवास हेतु प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया जिस पर विस्तृत चर्चा की गयी प्रभारी नगर एवं ग्रम नियोजक , उत्तरांचल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रुप हाउसिंग में 10 प्रतिशत आरक्षण कमजोर वर्ग/ सेवा सम्बन्धित कार्यो के कर्मचारियों हेतु प्राविधान नियमानुसार रखा जाय। तद्नुसार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	ग्रुप हाउसिंग योजना में मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलाम की प्रकिया प्रचलन में है। दस प्रतिशत आरक्षण कमजोर वर्ग / सेवा सम्बन्धित कार्यो के कर्मचारियों हेतु प्राविधानित करने पर पुनर्विचार प्रस्तावित है।
14 मद सं0–40(06)	**प्राधिकरण की योजनाओ में अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में**	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधित दरों पर आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार सील्ड कोटेशन मंगाकर किया जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त ।

मद सख्या–40(06) विषयः प्राधिकरण की योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में।
इस प्रकरण पर गत बैठक में निर्णय लेते हुये प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका है।

मद सं0–40(07)विषय : श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर को प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजित करते हुए रिक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

बोर्ड की गत बैठक के निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था किन्तु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि यह पद अकेन्द्रीयित सेवा का है अतः नियमावली के अनुसार इस पर प्राधिकरण स्तर से निर्णय लिया जाय। शासन के निर्णय के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40–08(1) विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

1.प्राधिकरण हरिलोक आवासीय योजना भाग–2 हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन क्षेत्रफल 48.462 हेक्टेयर के स्थान पर 93.955 हेक्टेयर भूमि के पुनरीक्षित प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

इस प्रकरण को बोर्ड के विचारार्थ पुनः अन्य विषय में क्रमांक 42(18)(7) पर रखा गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण वर्तमान एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40–08(2) विषय : हरिपुरकलॉं देहरादून के खसरा नम्बर–2 (ख) दिल्ली नीतिपास मार्ग पर बी0पी0 कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावितपैट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र सं0–195/ 2005–06 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विगत बैठक में उपरोक्त पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में मानचित्र संख्या–195 / 2005–06 की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी से संयुक्त रूप में आख्या की अपेक्षा की गयी थी। आख्या एजेण्डा मद संख्या–42 (17) में पुनः बोर्ड समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण वर्तमान एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40–08(3) विषय : अध्यक्ष ,जिला पंचायत हरिद्वार कार्यालय द्वारा जिला पंचायत हरिद्वार प्रांगण में खाली भूखण्ड पर प्रस्तावित पर्यटन गृह , शापिंग काम्पलैक्स, होटल काम्पलैक्स के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

प्रकरण एजेण्डा मद में 42 (3) पर पुनः प्रस्तुत है अतः वर्तमान एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

16.01.07

Secretary　　Vice Chirman　　Chairman/Commissioner

15 मद सं0–40(07)	**श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर को प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजित करते हुए रिक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद पर श्री राकेश सिंह विष्ट जो कि अध्यक्ष/ आयुक्त कार्यालय में संविदा पर कार्य कर रहे हैं, की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।**	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संस्तुति सहित अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव संस्तुति सहित अध्यक्ष / आयुक्त महोदय से शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पत्र संख्या 595 दिनांक 31–5–2006 के द्वारा प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि चूंकि पद अकेन्द्रीयत सेवा का है अतः सेवा नियमावली के अनुसार इस पर निर्णय प्राधिकरण स्तर से ही लिया जाना है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति समिति का गठन किया गया है जिसकी आख्या के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
16 मद सं0–40–08(1)	**<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु</u> 1.प्राधिकरण हरिलोक आवासीय योजना भाग–2 हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन क्षेत्रफल 48.462 हेक्टेयर के स्थान पर 93.955 हेक्टेयर भूमि के पुनरीक्षित प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।**	अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदन किया गया प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।	एजेन्डा मद से समाप्त ।

17 मद सं0–40–08(2)	**हरिपुरकलॉ देहरादून के खसरा नम्बर–2 (ख) दिल्ली नीतिपास मार्ग पर बी0पी0 कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावितपैट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र सं0–195/ 2005–06 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**	सदन में चर्चा की गयी अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 एवं जिलाधिकारी जांच कर आख्या प्रस्तुत करें।	प्रश्नगत स्थल से संबंधित प्रकरण पुनः बोर्ड के समक्ष एजेण्डा मद सं0–42(17) में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
18 मद सं0–40–08(3)	**अध्यक्ष ,जिला पंचायत हरिद्वार कार्यालय द्वारा जिला पंचायत हरिद्वार प्रांगण में खाली भूखण्ड पर प्रस्तावित पर्यटन गृह , शापिंग काम्पलैक्स, होटल काम्पलैक्स के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**	निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायें।	प्रश्नगत स्थल से संबंधित प्रकरण पुनः बोर्ड के समक्ष एजेण्डा मद सं0–42(3) में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
19 मद सं0–40–08(04)	**.अर्द्ध कुम्भ मेला प्रकाश व्यवस्था हेतु लगायी गयी सोडियम लाइटों एवं हाइमास्ट लाइटों के संबंध में।**	अध्यक्ष ,नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अधिकांश लाइटें खराब है तथा जिस पर अनुमानित व्यय रू0 40.00 लाख व्यय होने की संभावना है। विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त व्यय में से 50 प्रतिशत अर्थात रू0 20.00 लाख नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा वहन किया जायेगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत रू0 20.00 लाख हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि से नगर पालिका को उपलब्ध कराया जाये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।	निणर्य के अनुपालन में नगर पालिका परिषद हरिद्वार को रूपये–20.00 लाख का भुगतान कार्यालय पत्र संख्या–1204 दिनांक 07.07.06 के द्वारा किया जा चुका है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त।

मद सं0–40–08(04) विषय : अर्द्ध कुम्भ मेला प्रकाश व्यवस्था हेतु लगायी गयी सोडियम लाइटों एवं हाइमास्ट लाइटों के संबध म।

नगर पालिका परिषद द्वारा हाईमास्टो पर रूपये–40.00 लाख के व्यय का प्रस्ताव दिया गया था। विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रूपये– 20.00 लाख की धनराशि प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि से उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष व्यय नगर पालिका परिषद स्वयं वहन करेगी। निर्णय के अनुपालन में नगर पालिका परिशद को रूपये–20.00 लाख का भुगतान पत्रांक 1204 दिनांक 07.07.2006 के माध्यम से किया जा चुका है।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–40–08(5) विषय : भल्ला कालेज के निर्माण हेतु तत्कालीन विधायक श्री अम्बरीष कुमार की विधायक निधि की धनराशि रू0 13.75 लाख के संबंध मे।

विगत बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक निधि से रूपये–13.75 लाख की धनराशि प्राधिकरण द्वारा समर्पित कर दी जाय। निर्णय के अनुपालन में अवशेष धनराशि रूपये–13.75 लाख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को पत्रांक 1647 दिनांक 05.08.2006 के माध्यम से वापस की जा चुकी है।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–42 (2) विषय : प्राधिकरण की 41 वी बोर्ड बैठक दिनांक 04.10.06 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या।

प्राधिकरण के हरिद्वार क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना 41 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गयी थी। बोर्ड बैठक में महायोजना में निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण की आवश्यकता अनुभव की गयी थी:–

1. महायोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 20,000.00 हैक्ट0 का पूर्व महायोजना क्षेत्र से भिन्नता।
2. भू–उपयोग निर्धारण करते समय निरन्तरता (contiguity) का ध्यान रखा गया है अथवा नही।
3. जनसंख्या का प्रक्षेपण एवं आधारित जनसंख्या वृद्धि का आंकलन औचित्य पूर्ण है।
4. क्या कुम्भ मेला भूमि को यथास्थित सुरक्षित रखा गया है।
5. क्या बाग एवं वन हेतु भूमि के आरक्षण भू–उपयोग तर्क संगत है।

इस प्रयोजनार्थ उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी हरिद्वार, श्री बी0वी0 रतन एस0टी0सी0पी0, उत्तरांखण्ड, देहरादून, सन्त महेन्द्र सिंह, सदस्य विकास प्राधिकरण तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, हरिद्वार की एक समिति गठित की गयी जिससे उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या देने की अपेक्षा की गयी।

Secretary | Vice Chirman 16.01.07 | Chairman/Commissioner

20 **मद** **सं0–40–08(5)**	**मल्ला कालेज के निर्माण हेतु तत्कालीन विधायक श्री अम्बरीश कुमार की विधायक निधि की धनराशि रू0 13.75 लाख के संबंध मे।**	जिलाधिकारी ,हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन विधायक की विधायक निधि रू0 13.75 लाख प्राधिकरण में विगत लगभग 5 वर्षों से पड़ी हुई है जिस पर पूर्व विधायक द्वारा उक्त धनराशि को टाउन हॉल में वातानुकूलित कराने पर होने वाले व्यय हेतु नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हैं । विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि विधायक निधि की अवशेष धनराशि नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध करा दी जाये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाये।	निर्णय के अनुपालन एवं आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 24.07.06 के कम में अवशेष राशि रूपये–13.75 लाख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार को कार्यालय पत्र संख्या–1647 दिनांक 05.08.06 के द्वारा वापस की जा चुकी है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त।

मद संख्या–42 (2)

विषयः–प्राधिकरण की 41 वी बोर्ड बैठक दिनांक 04.10.06 की कार्यवाही संलग्न है।

क.स.	निर्णय	अनुपालन
1	श्री बृज वी0 रतन एस0टी0सी0पी0 द्वारा महायोजना के प्रारूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तैयार की गयी महायोजना प्रस्तावो पर लगभग सहमति व्यक्त की गयी। महायोजना में आश्रम, पर्यटन, उदयोग के प्रस्ताव उचित बताते हुये हवाई पट्टी को भी उदयोग में दर्शाने का निर्णय लिया गया साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0, जिलाधिकारी, हरिद्वार, श्री बृज वी0 रतन, एस0टी0सी0पी0 उत्तरांचल देहरादून एवं श्री सन्त महेन्द्र सिंह नामित सदस्य हरिद्वार विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, हरिद्वार की एक संयुक्त समिति महायोजना में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत अध्ययन कर अपनी संस्तुति अध्यक्ष / आयुक्त महोदय को शीघ्र प्रस्तुत करेगी उसके उपरान्त महायोजना को आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रर्दशित करने पर निर्णय लिया जायेगा। 1– महायोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 20,000 हैक्ट0 का पूर्व महायोजना क्षेत्र से भिन्नता पर। 2– भू–उपयोग निर्धारण करते समय निरन्तरता (contiguity) का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं। 3– जनसंख्या का प्रक्षेपण एवं आधारित जनसंख्या वृद्धि का आंकलन औचित्य पूर्ण है। 4– क्या कुम्भ मेला भूमि को यथा स्थित सुरक्षित रखा गया है। 5– क्या बाग एवं वन हेतु भूमि के आरक्षण भू–उपयोग तर्क संगत है। यह समिति शीघ्र ही बैठक कर अपनी संस्तुति अध्यक्ष / आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगी।	निर्णय के अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 29.11.06 को आयोजित बैठक मे विस्तृत चर्चा की गयी। टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा कतिपय जिज्ञासाओ का निराकरण करते हुये सभी बिन्दु समिति के सदस्यो को स्पष्ट किये गये बोर्ड बैठक दिनांक 4–10–06 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या संलग्न है।

समिति द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गयी उसे श्री बी0वी0 रतन एस0टी0सी0पी0 द्वारा विस्तार पूर्वक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया की प्रस्तावित महायोजना एस0टी0सी0पी0 उत्तराखण्ड द्वारा निम्न स्थानो पर जन साधारण के अवलोकनार्थ डिस्प्ले (Display) कर दिया जायः–

1. बहादराबाद ब्लाक मुख्यालय।
2. तहसील हरिद्वार।
3. हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय।
4. मेला नियन्त्रण भवन।
5. भोपतवाला में ह0वि0प्रा0 तथा एस.टी.सी.पी. द्वारा संयुक्त रूप से चयनित स्थान।
6. कलक्ट्रेट परिसर, हरिद्वार

उपरोक्त स्थानो पर जहाँ प्रस्तावित महायोजना प्रदर्शित की जायेगी वहाँ पर एक रजिस्टर भी रखा जायेगा जिसमें महायोजना के सम्बन्ध में जानकारी करने वालों एवं उनके सुझावों तथा पृच्छाओं को लिपिबद्ध किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गयेः–

1. नगर नियोजन विभाग द्वारा महायोजना के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये सुयोग्य स्टाफ भी दिया जायेगा।
2. यथा आवश्यकता एस.टी.सी.पी. द्वारा इस प्रयोजनार्थ हरिद्वार विकास प्राधिकरण के स्टाफ की सहायता ली जा सकती है।
3. प्रदर्शित की जाने वाली प्रस्तावित महायोजना में कुम्भ मेला क्षेत्र में कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा।
4. हरिद्वार रूड़की मार्ग के दोनों ओर हरिद्वार विकास प्राधिकरण की सीमा तक 80–80 मीटर व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित रखा जाय।
5. एस.टी.सी.पी उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित महायोजना के क्षेत्र में लगभग 65 मुख्य बाग हैं। अध्यक्ष / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि इनकी लिस्टिंग कराकर सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण इनका सत्यापन करायें।

भाग–(ब)

21. मद संख्या–42 (3) विषयः अध्यक्ष जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में खाली पड़ी भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मेंः–

जिला पंचायत हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में रिक्त भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि जोनिंग रेगुलेशन में विशेष परिस्थितियों में सरकारी / अर्द्ध सरकारी भू–उपयोगों का होटल तथा व्यापारिक उपयोगो हेतु अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा सकता है अतः इस कार्य हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी की इस पर एस.टी.सी.पी. उत्तराखण्ड की राय लेने के बाद ही अनुमति निर्गत की जाय।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

2— भू—उपयोग निर्धारण में लगभग निरन्तरता का प्राथमिकता दिया गया है अतः इसमें कोई विशेष त्रुटि नहीं पायी गयी केवल एक स्थान पर गुरूकुल इन्जीनियरिंग कालेज से बहादराबाद जाने वाले अवशेष मार्ग पर भी पट्टिका के रूपमें व्यवसायिक उपयोग दर्शाया जाना अधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों तथा प्रान्तीय राज मार्गों के दोनों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को व्यवसायिक उपयोग में प्राधिकरण की अन्तिम सीमा तक दर्शा दिया जाय। तद्नुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

3— जनसंख्या प्रक्षेपण के संबंध में 1901 से 2001 तक जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण की विधि से जनसंख्या प्रक्षेपण किया गया है तथा इसमें नगरीय क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर औसत जनसंख्या बृद्धि के आधार पर प्रक्षेपण किया गया है। इस प्रकार 2025 में महायोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 7.35 लाख अनुमानित की गयी है तथापि यह भी स्पष्ट किया गया कि इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों व पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुये लगभग 0.35 लाख जनसंख्या के लिये मानक इन्फास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास आवश्यक होगा। इस आधार पर सम्पूर्ण क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या तर्कसंगत है।

4— कुम्भ मेला क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र के अवलोकन के बाद यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि केवल नीलकण्ठ धाम के समक्ष क्षेत्रफल ही अनुपयोगी लगने के कारण उसका भू—उपयोग प्रस्तावित किया गया है। परन्तु अधिकतर सदस्यों का यह मत था कि मेले के लिये आरक्षित भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन

(बृजवीररतन) (सतपाल ब्रह्मचारी) (संत महेन्द्र सिंह) (कुँवर राजकुमार) (आर0के0सुधांशु)
एस0टी0सी0पी. अध्यक्ष,न0पा0हरिद्वार नामित सदस्य उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0 जिलाधिकारी

करना समीचीन नहीं होगा। अतः निर्णय लिया गया कि इसे पूर्ववत् मेला क्षेत्र ही आरक्षित रखा जाय। अन्य प्रदर्शित मेला क्षेत्र को भावी जन दबाव की दृष्टि से अधिक उपयोगी समझते हुये यथाप्रस्तावित रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

5— बाग एवं वन क्षेत्र भूमि के अन्तर्गत विभिन्न विद्यमान बागों को ही प्रदर्शित किया गया है जबकि कई आश्रमों में विद्यमान बागों की पृष्ठभूमि में दर्शाते हुये उसे आश्रमों के उपयोग में ही वर्गीकृत किया गया है। वन क्षेत्र जो हरिद्वार की ओर पर्वतीय ढालों पर स्थित है केवल उन्हीं क्षेत्रों को इस योजना में प्रदर्शित किया गया है, अतः प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है।

6— आवासीय क्षेत्रों का आकलन करते समय रानीपुर स्थित जिला मुख्यालय की राजकीय उपयोग की भूमि से लगे क्षेत्र जो टिहरी विस्थापितों को आवंटित है तथा निकट भविष्य में सिडकुल के आवासीय प्रयोजनार्थ भी उपयोग में लाया जा सकेगा को न्यून आवासीय में प्रस्तावित उपयोग के अतिरिक्त दर्शा दिया जाय। इस प्रयोजन से निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में उसी अनुपात में कटौती होगी। तद्नुसार प्रस्तावित भूउपयोग में इसे भी सम्मिलित कर लिया जाय।

सभी सदस्यों का मत था कि नियोजन प्रक्रिया की निरन्तरता को बनाये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु महायोजना प्रारूप 2025 के प्रदर्शन की तिथि से ही प्रस्ताव अनुसार क्रियान्वयन एक नियोजन निर्देशिका के रूप में प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिया जाय जो नगर के भौतिक विकास की नियोजित परिकल्पना के अनुरूप विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। अतः तद्नुसार उपरोक्तानुसार अनुमोदन हेतु समिति द्वारा प्रबल संस्तुति करने का निर्णय लिया गया।

29.11.06 29.11.06

(बृज बी0रत्न)	(सतपाल ब्रह्मचारी)	(संत महेन्द्र सिंह)	(कुँवर राजकुमार)	(आर0के0सुधांशु)
एस0टी0सी0पी.	अध्यक्ष,न0पा0हरिद्वार	नामित सदस्य	उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0	जिलाधिकारी

हरिद्वार महायोजना'2025 के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1– श्री आर0के0 सुधांशु, जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2– कुँवर राजकुमार, उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0
3– श्री बृज बी0 रतन, एस0टी0सी0पी0 देहरादून।
4– श्री सतपाल ब्रह्मचारी, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार।
5– संत महेन्द्र सिह, नामित सदस्य, ह0वि0प्रा0।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 41वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04–10–2006 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार महायोजना–2025 के संबंध में दिनांक 29–11–2006 को आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा कतिपय जिज्ञासाओं का निराकरण करते हुये सभी बिन्दु समिति के सदस्यों को स्पष्ट किये गये तथा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1– महायोजना क्षेत्र की भिन्नता के संबंध में अभिलेखों की पुष्टि के बाद यह तथ्य दृष्टिगत हुआ कि महायोजना में केवल नगरीकृत क्षेत्र को ही आकलित किया गया था जबकि हरिद्वार विकास क्षेत्र के इस भाग को हरिद्वार नगर समूह एवं 44 गामीण क्षेत्र सम्मिलित थे जिनमें राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार ही लगभग 16294 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। इसमें आंशिक भाग पहले ही नगरीय उपयोग में विकसित हो चुका है। यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण स्तर से पूर्ण विकास क्षेत्र को एक सेन्टीमीटर बराबर 20 मीटर के माप पर भौतिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराया गया था जिसमें 17500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र था। इसमें बी0एच0ई0एल0 को क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। अतः यह पाया गया कि हरिद्वार महायोजना–2025 के प्रारूप का क्षेत्र 20119 हेक्टेयर तर्कसंगत है।

(बृज बी0रतन)	(सतपाल ब्रह्मचारी)	(संत महेन्द्र सिंह)	(कुँवर राजकुमार) 29.11.06	(आर0के0सुधांशु) 29.11.06
एस0टी0सी0पी.	अध्यक्ष,न0पा0हरिद्वार	नामित सदस्य	उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0	जिलाधिकारी

भाग—(ब)

मद संख्या—42 (3)

विषयः अध्यक्ष जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में खाली पड़ी भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में:—

हरिद्वार महायोजना में विकास क्षेत्र भाग—अ के अध्याय—13 जोनिंग रेगुलेशन्स के अंश 13—3—ब में पृष्ठ 40 पर उल्लेख किया गया है कि विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं अन्य भू—उपयोगों को होटल तथा व्यापारिक उपयोग हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

उपरोक्त के क्रम में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—42 (4)

विषयः— श्री आशीष अग्रवाल व श्री लवीश अग्रवाल पुत्रगण श्री डी0के0 अग्रवाल, द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण—ऋषिकेश मार्ग श्याम पुर में बिना स्वीकृत किये गये अवैध निर्माण को शमन कराये जाने से पूर्व भू—उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध मे:—

सहयुक्त नियोजक, देहरादून से तकनीकी आख्या अप्राप्त होने की दशा में उक्त प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त ।

मद संख्या—42 (4) विषयः— श्री आशीष अग्रवाल व श्री लवीश अग्रवाल पुत्रगण श्री डी0के0 अग्रवाल, द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण—ऋषिकेश मार्ग श्यामपुर में बिना स्वीकृत किये गये अवैध निर्माण को शमन कराये जाने से पूर्व भू—उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध मे:—

इस प्रकरण में एस.टी.सी.पी. उत्तराखण्ड से आख्या प्राप्त नहीं की गयी थी अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

मद संख्या—42 (5) विषयः— श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द, श्रीराम रिसोर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानचित्र संख्या— मान / हरि / 25 / 2006—07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में:—

उपरारोक्त प्रकरण में आवासीय निम्न घनता (आर—2) क्षेत्र में होटल के निर्माण हेतु आवेदन किया जाना संसुचित है। प्रकरण पर एस.टी.सी.पी. द्वारा 24.08.2006 को आख्या दी गयी है जिसके अनुसार निम्न उल्लेख किया गया है:—

1. नियमानुसार 7.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों हेतु अग्रभाग में 9.00 मीटर तथा तीनो ओर छोडे जाने वाला सेटबैक 5.00 मीटर होगा।
2. अधिकतम भू—आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.25 अनुमन्य होगा।
3. भवन की अधिकतम उंचाई 15 मीटर अनुमन्य है।
4. प्रस्तावित गेस्टरूम ब्लाक के मध्य में भी एक सीढ़ी प्रस्तावित की जानी चाहिये जिससे कि occupants के लिये ट्रेवल डिस्टेन्स नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार हो।
5. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तावित भवन मानचित्र का भूकम्पीय दृष्किोंण से सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाईन भी बनवाया जाना आवश्यक है।

Secretary　　16.01.07　Vice Chirman　　Chairman/Commissioner

मद संख्या–42 (5)

विषयः– श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द, श्रीराम रिसोर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानचित्र संख्या– मान / हरि / 25 / 2006–07 की स्वीकृति के सम्बन्ध मेंः–

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द, श्रीराम रिसोर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा प्राधिकरण के समक्ष मानचित्र संख्या– मान / हरि / 25 / 2006–07 स्वीकृति हेतु दिनांक 02.06.2006 को प्रस्तुत किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 4333 वर्ग मी0 है। हरिद्वार महायोजना भाग–अ के अनुसार मानचित्र में निहित भूमि का भूउपयोग आवासीय निम्न घनता (आर–2) है। आवेदक द्वारा उक्त भूउपयोग के विपरीत होटल के निर्माण हेतु आवेदन किया गया जो कि महायोजना के अनुसार अनुमन्य नहीं है, अतः दिनांक 31.07.2006 को प्रसंगाधीन मानचित्र निरस्त कर दिया गया। महायोजना भाग–अ के पृष्ठ 41–42 पर यूज जोन आर–2 के स्वीकार्य उपयोगों की श्रेणी में यह प्रकरण नहीं आता है।

आवेदक द्वारा दिनांक 4.12.2006 को प्राधिकरण को एक प्रार्थना–पत्र दिया गया है कि विकास प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विशेष परिस्थितियों में होटल के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की जाय, ताकि प्रदेश की पर्यटन नीति के अनुरूप पर्यटन विकास को बढ़ावा मिल सके।

सहयुक्त नियोजक की तकनीकी आख्या दिनांक 24.8.2006 के अनुसार प्रस्तावित होटल मानचित्र में उपविधियों के अनुसार निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया हैः–

1– नियमानुसार 7.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों हेतु अग्र भाग में 9.0 मीटर तथा तीनों ओर छोडे जाने वाला सेटबैक 5.0 मीटर होगा।

2– अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.25 अनुमन्य होगा।

3– भवन की अधिकतम ऊचाई 15.00 मीटर अनुमन्य है।

4– प्रस्तावित गेस्ट रूम ब्लाक के मध्य में भी एक सीढ़ी प्रस्तावित की जानी चाहिये जिससे कि occupants के लिये ट्रैवल डिस्टेन्स नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार हो।

5— अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6— प्रस्तावित भवन मानचित्र का भूकम्पीय दृष्टिकोण से सक्षम स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाईन भी बनवाया जाना आवश्यक है।

7— इसके अतिरिक्त रेनवाटर हार्वेस्टिंग , पार्किंग आदि के प्राविधान नियमानुसार किये जाने आवश्यक है।

हरिद्वार महायोजना में हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग—अ के अनुसार आवासीय क्षेत्र (आर—2) भू—उपयोग में यह प्रकरण निषिद्व उपयोग की श्रेणी में नही आता है। महायोजना के पृष्ठ—42 पर विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू—उपयोग का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार होटल एवं रेस्तरॉं बनाने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी0 से कम न हो तथा उसके चारों ओर 9—9 मीटर खाली स्थान उपलब्ध हों । उपरोक्त शर्तो के साथ इस प्रकरण में आवासीय निम्न घन्नता क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा होटल बनाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–42 (6)

विषयः डा0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एम0डी0 स्नेह सोनिया इन्टरनेशनल होटल प्रा0लि0 द्वारा ग्राम घुघत्यानी तल्ली बद्रीनाथ रोड़, जिला टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक होटल का भवन मानचित्र संख्या– मान / ऋषि–17 / 2006–07 की स्वीकृति से पूर्व भू–परिवर्तन के सम्बन्ध में:–

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एम0डी0 स्नेह सोनिया इन्टरनेशनल होटल प्रा0 लि0 द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र में ग्राम घुघत्याणी तल्ली, बद्रीनाथ मार्ग, जिला–टिहरी में होटल निर्माण हेतु मानचित्र सं0–17/2006–07 प्राधिकरण में 27–6–2006 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावित स्थल ऋषिकेश महायोजना–2011 के अनुसार यूज जोन –पी–5 में हरित पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जैसा कि महायोजना के पृष्ठ–53 पर उल्लेख है। प्रस्तावित निर्माण बद्रीनाथ मार्ग पर गंगा नदी पर होने के कारण उक्त स्थल पर road level से ऊपर निर्माण की स्वीकृति नही की जा सकती है अतः आवेदक का मानचित्र 20–7–06 को अस्वीकृत कर दिया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल अनधिकृत कालोनी में स्थित है तथा अनधिकृत प्लाटिंग के कारण वाद सं0–83/ 2005–06 में धारा–27 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गयी।

आवास अनुभाग के शासनादेश सं0–1205 दिनांक 12 अप्रैल 2005 के अनुसार होटल एवं रिसोर्ट आदि को मनोरंजन एवं पर्यटन भू–उपयोग के अन्तर्गत ही वर्गीकृत करते हुये तदनुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण करने के निर्देश है। इसी शासनादेश में कृषि एवं उद्यान से पर्यटन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की सुविधा भूखण्ड पर सर्किल रेट के 20 प्रतिशत की दर से अनुमन्य है। संबंधित पक्षकार द्वारा तदनुसार भू–उपयोग परिवर्तन के लिए लिखित सहमति दी गयी है।

आवेदक द्वारा मा0 पर्यटन मंत्री उत्तरांचल सरकार को दिनांक 6–7–06 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा प्रमुख सचिव पर्यटन को यह निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव का परीक्षण करते हुये आवेदक को होटल निर्माण के लिये आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान किया जायें।

उपरोक्त के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. इसके अतिरिक्त रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग आदि के प्राविधान नियमानुसार किये जाने आवश्यक है।

प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि महायोजना के प्राविधान के अनुसार आर–2 क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा होटल एवं रेस्तरां बनाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भू–उपयोग परिवर्तन के मानकों के सम्बन्ध में एस.टी.सी.पी. का मत प्राप्त किया जाय तथा शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही करते हुये गाइडलाइन्स प्राप्त होने तक प्रकरण को स्थगित रखा जाय।

मद संख्या–42 (6) विषयः डा0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एम0डी0 स्नेह सोनिया इन्टरनेशनल होटल प्रा0लि0 द्वारा ग्राम घुघत्यानी तल्ली बद्रीनाथ रोड़, जिला टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक होटल का भवन मानचित्र संख्या– मान / ऋषि–17 / 2006–07 की स्वीकृति से पूर्व भू– परिवर्तन के सम्बन्ध में:–

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित स्थल ऋषिकेश महायोजना–2011 के अनुसार पी0–5 (हरित पट्टी) क्षेत्र में आता है तथा स्थल गंगा नदी के पास होने बावजूद रोड लेवल से ऊपर निर्माण की स्वीकृति चाही गयी है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल अनधिकृत कालोनी में स्थित है तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत्ति से इस प्रकरण को अस्वीकृत (Reject) करने का निणर्य लिया गया।

प्रकरण उपरोक्तानुसार एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–42 (7) (अ) विषयः– हरिद्वार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को विस्थापित योजना मानते हुये सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में:–

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में शासनादेश संख्या–1286 दिनांक 26.07.06 के अनुसार आरक्षण का प्राविधान करते हुये आवंटन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे किन्तु आरक्षित श्रेणियों में वांछनीय संख्या में आवेदन प्राप्त न हो पाने के कारण छोटी दुकानों एवं ट्रान्सपोर्ट कार्यालयों से सम्बन्धित भूखण्ड अभी रिक्त है जिनके लिये पुनः पंजीकरण खोला गया है।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

मद संख्या–42 (7)

(अ)

विषयः– हरिद्वार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को विस्थापित योजना मानते हुये सामान्य श्रेणी के आवेदको को भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध मेंः–

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, हरिद्वार में भूखण्डों के आवंटन हेतु विगत वर्ष पंजीकरण खोला गया था। पंजीकरण में प्राप्त आवेदनों की जांच उपरान्त पात्र आवेदको के मध्य आवास विभाग, उत्तरांचल शासन से आवासीय योजनाओं में आरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्राप्त शासनादेश संख्या–1286 दिनांक 26.07.06 के अनुसार भूखण्डों का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया गया । योजना से सम्बन्धित पात्र आवेदकों में आरक्षित श्रेणियों के आवेदको की संख्या कम होनें के कारण दुकानों, ट्रान्सपोर्ट कार्यालय के अवशेष आरक्षित भूखण्डों की इन्हीं श्रेणियों हेतु एवं अवशेष बड़े गोदाम, छोटे गोदाम एंव वर्कशाप / सर्विस स्टेशन के भूखण्डों की सभी श्रेणियों हेतु पंजीकरण पुनः खोला गया है।

चूंकि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना विस्स्थापितो को समायोजित करने की योजना है और योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के अन्दर स्थापित ट्रान्सपोटर्स व ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय से जुडे स्पेयर पार्टस विक्रेता, मैकैनिक, इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर आदि को शहर से विस्थापित करते हुये उन्हें प्रस्तावित नई योजना में स्थापित करना है, अतः यदि रिक्त भूखण्डों के आंवटन हेतु पुनः खोले गये पंजीकरण में भी योजना से सम्बन्धित आरिक्षत श्रेणियों के आवेदक उपलब्ध नही होतें हैं तो रिक्त उपलब्ध भूखण्डों को सामान्य श्रेणी के आवेदको के मध्य आंवटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ब)

विषयः— हरिद्वार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में 20 वर्ग मीटर की विभिन्न दुकानों एवं ट्रान्सपोर्ट कार्यालय हेतु भूखण्डों की संख्या अधिक करने के सम्बन्ध में:—

ट्रान्सपोर्ट नगर में ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय से जुडे व्यवसायियों हेतु 20 वर्ग मी0 के 50 भू–खण्ड तथा ट्रान्सपोर्ट कार्यालयों हेतु 20 वर्ग मी0 के 50 भूखण्ड आवंटन हेतु प्राविधानित किये गये थे । उपलब्धता के सापेक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन करने वालों की संख्या अत्यधिक रही,, अतः भारी संख्या में आवेदकों कों भूखण्ड आवंटित नही किये जा सके। यदि छोटे–छोटे व्यवसायियों को इस योजना में समायोजित नही किया जायेगा तो ट्रान्सपोर्ट से संबंधित सभी व्यवसायियों को ट्रान्सपोर्ट नगर में शिफ्ट नही किया जा सकेगा। अतः 20 वर्ग मी0 के अतिरिक्त भूखण्डों को प्राविधानित किये जाने की आवश्यकता हैं । इसके लिए 2500 वर्ग मी0 अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अतः उचित होगा कि 875 वर्ग मी0 के 3 गोदामों को ले–आउट में से कम करते हुये उनके स्थान पर 20 वर्ग मी0 के भूखण्ड प्राविधानित कर दिये जाये। उल्लेखनीय है कि 875 वर्ग मी0 के 13 भूखण्डों में से 11 भूखण्ड विक्रीत नही हो सके हैं । अतः इन्ही गोदामों में से 3 को कम करते हुये 20 वर्ग मी0 के अतिरिक्त भूखण्डों का प्राविधान किया जा सकता है।

प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(स)

विषयः—हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पैट्रोल पम्प आवंटन के सम्बन्ध में :—

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत अन्य उपलब्ध व्यवसायिक सम्पत्तियों में पैट्रोल पम्प हेतु 1932 वर्गमीटर का एक भूखण्ड है जिसका विक्रय भी मुहरबन्द निविदा /नीलामी के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है । अतः उचित प्रतीत होता है कि पैट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का विक्रय आरक्षित मूल्य रूपये–6400–00 प्रतिवर्ग मीटर (न्यूनतम) के आधार पर पैट्रोल पम्प कम्पनियों (रिटेल बिक्री वाली आयल कम्पनियों से) मुहरबन्द निविदायें मॉगते हुए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आबंटित किया जाये । प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि आरक्षित श्रेणियों में रिक्त भूखण्डों के सापेक्ष वांछित संख्या में आवेदक उपलब्ध नही होते है तो इस प्रकरण को शासन को संदर्भित करते हुये मार्ग दर्शन प्राप्त करके कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

(ब) विषयः— हरिद्वार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में 20 वर्ग मीटर की विभिन्न दुकानों एवं ट्रान्सपोर्ट कार्यालय हेतु भूखण्डों की संख्या अधिक करने के सम्बन्ध में:—

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय से जुडे व्यवसायियों हेतु 20 वर्ग मीटर के 50 भूखण्ड तथा ट्रान्सपोर्ट कार्यालयों हेतु 50 भूखण्ड प्राविधानित किये गये थे। इन दोनों श्रेणियों में आवेदन करने वालों की संख्या अत्यधिक रही है तथा कुछ बड़े भूखण्डों के लिये वांछित संख्या में आवेदक नही उपलब्ध हुये हैं। उपरोक्त क्रम में प्राधिकरण द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि ले–आउट में 875 वर्ग मीटर के तीन गोदामों को कम करते हुये उनके स्थान पर 20 वर्ग मीटर के छोटे भूखण्ड प्राविधानित कर दिये जायें क्योंकि उक्त श्रेणी के 13 भूखण्डों में से केवल दो भूख्ण्ड ही बिकी हो सके है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः आवेदन आमन्त्रित करके स्थिति का आंकलन कर लिया जाय तथा यदि बड़े भूखण्डो का अपेक्षित संख्या में विकय न हो पाता हो तो उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही कर ली जाय।

उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

(स) विषयः—हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पैट्रोल पम्प आवंटन के सम्बन्ध में :—

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत 1932 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड पेट्रोल पम्प के लिये आरक्षित है। व्यवसायिक सम्पत्तियों का मुहरबन्द निविदा के माध्यम से निस्तारण करने का निर्णय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का आरक्षित मूल्य रूपया–6400.00 प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित करते हुये पेट्रोल पम्प कम्पनियों (रिटेल बिकी वाली आयॅल कम्पनियों) से मुहरबन्द निविदायें मांगते हुये प्रतिस्पर्धा में माध्यम से भूखण्ड की नीलामी की जाय। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रकरण

एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

मद संख्या–42 (8) एवं (12)

विषयः– हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं सिडकुल क्षेत्र की रिक्त सरप्लस भूमि को प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जाने हेतु हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में:–

प्राधिकरण के पास इस समय अपना कोई भूमि–बैंक नहीं है। प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में शहरीकरण का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया में सामान्यतः काफी समय लग जाता है तथा विधिक जटिलताओं के कारण भी विलम्ब हो जाता है। शहरीकरण के दबाव को देखते हुये सुनियोजित विकास के दृष्टिकोंण से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नगरपालिका परिषद हरिद्वार, ऋषिकेश, नगरपंचायत मुनि की रेती व रानीपुर, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिडकुल तथा अन्य शासकीय विभागों की रिक्त पड़ी भूमि को चिन्हित कर लिया जाय जिन्हें वे विकास प्राधिकरण को जिलाधिकारी/शासन (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा निर्धारित दरों पर प्राधिकरण को हस्तांतरित कर सकें अथवा प्राधिकरण के पक्ष में उनका resumption /लीज/पट्टा इत्यादि किया जा सके। प्राधिकरण द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि इस प्रकार प्राप्त भूमि का भूमि–बैंक स्थापित करे तथा यथासम्भव ऐसी भूमि का सुनियोजित विकास करते हुये बढ़ते हुये शहरीकरण के दबाव को कम करने में सहायक हो। इस प्रयोजनार्थ जिलाधिकारी तथा उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से भूमि चिन्हित करके अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–42 (8) एवं (12) विषयः– हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं सिडकुल क्षेत्र की रिक्त सरप्लस भूमि को प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जाने हेतु हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में:–

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के पास अपना कोई भूमि बैंक नही है तथा प्राधिकरण क्षेत्र में शहरीकरण का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि भू–अध्याप्ति की प्रकिया में सामान्यतः काफी समय लग जाता है तथा विधिक जटिलतायें भी आती है। शहरीकरण के दबाव को देखते हुये सुनियोजित विकास की दृष्टिकोंण से इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि नगर पालिकाओं, नगर–पंचायतों तथा शासन अन्य विभाग (जैसे– सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा सिडकुल इत्यादि) की रिक्त पड़ी ऐसी भूमि को चिन्हित कर लिया जाय जिनकी सम्बन्धित निकाय / विभाग को आवश्यकता नहीं है तथा जिलाधिकारी / शासन (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा निर्धारित दरों पर प्राधिकरण के पक्ष में ऐसी भूमि का Resumption / लीज / पट्टा इत्यादि कराया जाय। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से ऐसी भूमि को चिन्हित करते हुये विभाग की अनुमति से उन्हे विकास प्राधिकरण में Vest कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेगें।

उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

मद संख्या–42 (9) विषयः प्राधिकरण में नगर नियोजक के रिक्त पद पर शासन से नियुक्ति होने की प्रत्याशा में अनुबन्ध पर सेवानिवृत्त नगर नियोजक को रखे जाने के सम्बन्ध मे:–

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया ।

मद संख्या–42 (10) विषयः प्राधिकरण में विधि सहायक के रिक्त पद पर शासन से नियुक्ति होने की प्रत्याशा में अनुभवी अधिवक्ता अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध मे:–

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया ।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

मद संख्या–42 (9)

विषयः प्राधिकरण में रिक्त नगर नियोजक के रिक्त पद पर शासन से नियुक्ति होने की प्रत्याशा में अनुबन्ध पर सेवानिवृत्त नगर नियोजक को रखे जाने के सम्बन्ध मेः–

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में विगत कई वर्षों से नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक के पद रिक्त चले आ रहे हैं। शासन द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये निरन्तर अनुरोध किया गया है किन्तु अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण शासन से इन पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो सकी है। नगर नियोजन प्राधिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अतः नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक के पदों पर इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी अथवा तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति को रखा जाना अपरिहार्य है। प्रस्ताव प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष इस निवेदन के साथ प्रस्तुत है कि इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति समय सीमा का निर्धारण तथा पारिश्रमिक हेतु धनराशि का निर्धारण करने के लिये आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दिया जाय।

मद संख्या–42 (10)

विषयः – प्राधिकरण में रिक्त विधि –सहायक के रिक्त पद पर शासन से नियुक्ति होने की प्रत्याशा में अनुभवी अधिवक्ता को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध मे:–

प्राधिकरण में विधिक सहायक का पद काफी समय से रिक्त चल रहा है। मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम तथा सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों पर पत्रावलियों पर समय–समय पर विधिक राय की आवश्यकता होती है, अतः किसी सुयोग्य व अनुभवी विधि सहायक की अत्यधिक आवश्यकता है। प्राधिकरण के अधिवक्ता सामान्यतः न्यायालयों में व्यस्त रहते हैं तथा ऐसी परिस्थितियों में पत्रावलियों को न्यायिक दृष्टि से व्यवहरित करने के लिये विधि सहायक का होना परम आवश्यक है जो पत्रावलियों पर अभिमत व्यक्त करने के साथ–साथ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से भी सामन्जस्य बनाकर रख सकें अतः इस पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति समय सीमा का निर्धारण तथा पारिश्रमिक हेतु धनराशि का निर्धारण करने के लिये आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दिया जाय।

मद संख्या–42 (11)
विषयः प्राधिकरण में भू–अर्जन से सम्बन्धित प्रकरणों के लिये एक तहसीलदार व लेखपाल का पद सृजन का प्रस्ताव व शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में एक सेवा निवृत्त तहसीलदार व लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध मेः–

प्राधिकरण में भू–अर्जन से सम्बन्धित प्रकरणों के लिये प्राधिकरण हित में एक तहसीलदार व एक लेखपाल के पद पर नियमित नियुक्ति आवश्यक है। अतः उचित होगा कि उक्त पदों का सृजन एवं नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा एक सेवा निवृत्त तहसीलदार एवं लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने की स्वीकृति 19 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–09–94 के मद सं0–12–8 में दी जा चुकी है जिसमें तहसीलदार को रूपये–3000.00 एवं लेखपाल को रूपये– 1500.00 भुगतान प्रतिमाह स्वीकृत है। वेतनमानों के पुनरीक्षण एवम् इन पदों पर सम्मानजनक धनराशि के भुगतान के दृष्टिकोंण से लेखपाल को देय अनुबन्ध की धनराशि 1500.00 से बढ़ाकर 3000/– किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। तहसीलदार को देय अनुवन्ध की धनराशि प्राधिकरण की 34 वीं0बोर्ड बैठक के मद सं0–11 में रू0 6000/–में पहले ही वृद्वि की जा चुकी है। अतः प्रस्ताव है कि लेखपाल हेतु स्वीकृत अनुबन्ध राशि को रूपये–1500.00 से बढाकर रूपये–3000.00 कर दिया जाये। प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–42 (11) विषयः प्राधिकरण में भूमि–अर्जन से सम्बन्धित प्रकरणों के लिये एक तहसीलदार व लेखपाल का पद सृजन का प्रस्ताव व शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में एक सेवानिवृत्त तहसीलदार व लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध मेः–

प्राधिकरण में एक सेवानिवृत्त तहसीलदार तथा एक सेवानिवृत्त लेखपाल अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत हैं। तहसीलदार को देय अनुबन्ध की राशि प्राधिकरण की 34 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–11 में बढ़ाकर रूपये– 6000.00 पहले की जा चुकी है।

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुबन्ध पर तैनात लेखपाल को देय अनुबन्ध राशि रूपये–1500.00 से बढ़ाकर रूपये– 3000.00 की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।**

मद संख्या–42 (13) विषयः–आवास विकास परिषद की कालोनी के सौन्दीयकरण एवं अवैध निर्माणो पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तरांचल शासन द्वारा आवास विकास परिशद का गठन कर दिया गया है अतः प्रस्ताव एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या–42 (14) विषयः श्री किशन स्वरूप सिंह, चौकीदार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रूपये– 56950.00 का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री किशन स्वरूप चौकीदर की पत्नी का ब्रेन हैमरेज होने के कारण उनके द्वारा पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में इलाज कराया गया जिसपर रूपये–76960.00 व्यय हुये । इसके सापेक्ष तत्काल सहायता के रूप में उपाध्यक्ष द्वारा

16.01.07

Secretary   Vice Chirman   Chairman/Commissioner

मद संख्या–42 (13)

विषयः–आवास विकास परिषद की कालोनी के सौर्न्दीयकरण एवं अवैध निर्माणो पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध मे।

ज्ञातव्य है कि आवास विकास परिषद का गठन शासन स्तर पर विचाराधीन है, अतः इस मद को एजेण्डा से समाप्त किया जाय।

मद संख्या–42 (14)

विषयः श्री किशन रूवरूप सिंह, चौकीदार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रूपये– 56950.00 का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में चौकीदार के पद पर कार्यरत श्री किशन स्वरूप सिंह की पत्नी का ब्रेन हैमरेज विगत वर्ष में हुआ था जिसका इलाज पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ में कराया गया था, जिसपर कुल लगभग रूपये– 76960.00 का व्यय हुआ था। तात्कालिक सहायता के दृष्टिगत उपाध्यक्ष विवेकाधीन मद से रूपये–20,000.00 का भुगतान तुरन्त कर दिया गया था। अवशेष धनराशि की मांग इनके द्वारा की जा रही है। चिकित्सा विभाग, उत्तरांचल द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 1180 दिनांक 20.12.03, के अनुसार सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की गयी है परन्तु प्राधिकरण में ऐसी कोई व्यवस्था नही है। चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिपूर्ति हेतु मात्र रूपये–10.00 एवं रूपये–20.00 प्रतिमाह वेतन के साथ दिये जाने की व्यवस्था है। इस धनराशि से किसी प्रकार का कोई भी इलाज सम्भव नही है।

अतः प्रस्ताव है कि श्री किशन स्वरूप को रूपये– 56950.00 का भुगतान करते हुये प्राधिकरण सेवकों एवं उनके आश्रितों को गम्भीर बीमारी की दशा में पूर्ण इलाज किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति की व्यवस्था प्राधिकरण स्तर से किया जाना उचित होगा।

अतः प्रस्ताव है कि चिकित्सा व्यय के प्रकरणों में वास्तविक व्यय की स्वीकृति 15000/– तक प्रदान करने के अधिकार उपाध्यक्ष को तथा इससे अधिक धनराशि के व्यय होने की दशा में स्वीकृति देने हेतु आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत कर दिया जायें। तदनुसार प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–42 (15)

विषयः प्राधिकरण में कार्यरत 16 दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो के कम में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त कर्मचारियों के नियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्राधिकरण में विगत 12 वर्षो से अधिक समय से 01 दैनिक वेतन भोगी तथा 15 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत है। जिसमें दो वर्कचार्ज लिपिक,एक दैनिक वेतन चपरासी तथा 13 वर्कचार्ज चपरासी है। 19 अप्रैल–2004 से पूर्व इन्हें दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता था तदोपरान्त इनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है । प्राधिकरण की 38 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–08 पर लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त कर्मियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भेजा गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कम में दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। मसूरी –देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भी इस सम्बन्ध में अपनी बोर्ड बैठक में बोर्ड को अवगत कराया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान के सम्बन्ध में यथा स्थिति बनायी रखी जाय। प्रस्ताव है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण मे भी अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भॉति वेतन भुगतान में यथास्थिति बनायी रखी जाय।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विवेकाधीन मद से रूपये–20,000.00 का भुगतान तत्काल कर दिया गया था। प्राधिकरण के समक्ष ऐसी आपातकालीन गम्भीर बीमारी के प्रकरण में इलाज की धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया।

सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु एक संहत प्रस्ताव शासन को भेजा जाय तथा शासन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।**

मद संख्या–42 (15) विषयः प्राधिकरण में कार्यरत 16 दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो के कम में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रकरण स्थगित करते हुये **एजेण्डा मद से समाप्त** किया जाय।

मद संख्या–42 (16) विषयः यू0पी0एस0आई0डी0सी0 क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति एवं अवैध निर्माणों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार व बहादराबाद स्थित यू.पी.एस.आई.डी.सी. क्षेत्र के सम्बन्ध में मानचित्रों की स्वीकृति तथा अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 मेरठ को किया गया था। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रतिनिधायन निरस्त करते हुये यू.पी.एस. आई.डी.सी. के उपरोक्त क्षेत्र में समस्त कार्यवाही के अधिकार हरिद्वार विकास प्राधिकरण में निहित रहेंगे।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–42(17) विषयः हरिपुर कलॉ देहरादून के खसरा नं0–92 (ख) देहली नीति पास रोड पर बी0पी0कारपोरेशन लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं0– नो0 /हरि0/ 242 / 2006–07 के क्रम में शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर मानचित्र संख्या–195 / 2005–06 पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया

16.01.07

Secretary Vice Chirman Chairman/Commissioner

मद संख्या—42 (16)
विषयः यू0पी0एस0आई0डी0सी0 क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति एवं अवैध निर्माणों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 हरिद्वार व बहादराबाद स्थित क्षेत्रों में मानचित्रों की स्वीकृति व अवैध निर्माणों के संबंध में अधिकारों का प्रतिनिधायन क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 मेरठ को किया गया था। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिनिधायन वापस ले लिया जाय तथा मानचित्रों की स्वीकृति एवं अवैध निर्माणों पर की जाने वाली समस्त कार्यवाही के अधिकार यथावत हरिद्वार विकास प्राधिकरण में ही निहित किये जायें। प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–42(17)

विषय:हरिपुर कलॉ देहरादून के खसरा नं0–92 (ख) देहली नीति पास रोड पर बी0पी0कारपोरेशन लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण की के सम्बन्ध में वाद सं0–नो0 /हरि0/ 242 / 2006–07 को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर मानचित्र संख्या–195/ 2005–06 पैट्रोल पम्प के निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस विषय पर सहयुक्त नियोजक, देहरादून से आख्या प्राप्त की गयी जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि यह प्रकरण आवास विभाग के शासनादेश सं0–4752 दिनांक 1–11–2004 में निर्धारित मानकों के अनुसार है तथा प्राधिकरण स्तर से ही अग्रिम कार्यवाही की जानी है। शासनादेश सं0–4752 दिनांक 1–11–04 में इस आशय का प्राविधान है कि राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों पर स्थित फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की बोर्ड बेठक में विचार किया जायेगा तथा उससे पूर्व मानदण्डों के अनुसार नगर एवं गग्रम्य नियोजन विभाग की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। नगर नियोजन विभाग से प्राप्त आख्या के अनुसार यह प्रकरण मानकों के अनुरूप है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा निम्न शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है:–

1– अग्नि शमन अधिकारी, देहरादून द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत व्यवस्था करनी होगी।

2– हरिद्वार विकास प्राधिकरण की शर्तो के अन्तर्गत सभी शर्ते पूरी करनी होगी।

3– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, रूड़की के पत्र दिनांक 3–3–05 के अनुसार सभी शर्तो का अनुपालन करना होगा।

4– पैट्रोल पम्प लगाने के पश्चात लोक निर्माण विभाग एवं अग्नि शमन विभाग से निरीक्षण कराना होगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में 21–1–06 को जमा करायी जा चुकी है। फिलिंग स्टेशन महायोजना के प्रस्तावित 60 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित है तथा इसके आस–पास एक किलो मी0 की दूरी पर कोई अन्य फिलिंग स्टेशन विद्यमान नही है।

प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक में इस प्रकरण पर जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 की संयुक्त आख्या की अपेक्षा की गई है जो अलग से प्रस्तुत की जा रही है। पक्षकार द्वारा अनुमति से पूर्व ही पैट्रोल पम्प का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जिसके कारण उसके विरूद्व प्राधिकरण में वाद सं0–242/ 2006–07 दिनांक 28–9–06 को योजित किया गया। उपरोक्त स्थिति के अनुसार यह प्रकरण अब मानचित्र स्वीकृति का न होकर शमन का प्रकरण हो गया है जिसके लिए प्रार्थी आवेदन कर चुका है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष इस मन्तव्य से प्रस्तुत है कि शासनादेश, जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र तथा प्राधिकरण के नियमों में प्राविधानित शर्तो को पूरा करने की दशा में अपराध के शमन की अनुमति प्रदान कर दी जाये। । उक्त प्रकरण शासनादेश सं0–4752 दिनांक 1–11–2004 में विनिर्दिष्ट प्रकिया के कम में प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–42(18)
अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

था। शासनादेश संख्या– 4752 दिनांक 1.11.2004 के अनुसार राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गो पर प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति का प्रकरण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा तथा मानदण्डों के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या भी प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त विषय पर जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 की संयुक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखी गयी। यह भी विदित हुआ कि पक्षकार द्वारा अनुमति से पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जिसके कारण उसके विरूद्ध प्राधिकरण में वाद संख्या–242 / 2006–07 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में प्राधिकरण के तत्कालीन स्टाफ से स्पष्टीकरण लेते हुये उसका विधिवत परीक्षण करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय तथा प्रसंगाधीन प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण पर विचार किया जाय।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–42(18) अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1– इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में लाटरी द्वारा ड्रा निकाल कर भवनों / भूखण्डों के आवंटन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

इस योजना में लाटरी द्वारा ड्रा निकाल कर भूखण्डों / भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रकिया पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि लाटरी का ड्रा प्राधिकरण के स्तर से सम्पन्न कराया जाय। इस टिप्पणी के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।**

2– इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की प्रक्रिया तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग के 6 भूखण्डों को मुहरबन्द निविदा के माध्यम से नीलामी करने की प्रक्रिया का निर्धारण।

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का मुहरबन्द निविदा के माध्यम से निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.04.06 के मद संख्या– 38.3 के अन्तर्गत व्यवसायिक तथा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का निस्तारण मुहरबन्द निविदा के माध्यम से किये जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। अतः उसी के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।**

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner

3– **विषयः–हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पैट्रोल पम्प आवंटन के सम्बन्ध में :–**

उपरोक्त विषय पर मद संख्या–42 (7)(स) पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

4– **संशोधित बजट।**

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष वर्ष 2006–07 के प्रस्तावित बजट में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये है जिनपर चर्चा करने के उपरान्त अन्तिम रूप से निम्न संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयीः–

	पूर्व प्रस्तावित (रू0 लाख मे)	वर्तमान प्रस्तावित (रू0 लाख में)
प्रारम्भिक शेष	281.15	281.15
राजस्व आय	653.00	653.00
पूंजीगत आय	6646.60	6646.50
योग	7580.65	7580.65
राजस्व व्यय	215.25	185.25
पूंजीगत व्यय	7320.00	7032.00
योगः–	7535.25	7217.25
अन्तिम अवशेष	45.40	363.40

उपरोक्त स्वीकृति के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।**

16.01.07

Secretary Vice Chirman Chairman/Commissioner

5– विज्ञापन नीति ।

प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में विज्ञापन नीति का प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ रखा गया जिसपर संक्षिप्त विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यथास्थिति उपाध्यक्ष एवं सचिव को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।

6– हरिलोक आवासीय योजना भाग–दोः–

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजना के लिये भूमि अर्जन की प्रकिया काफी समय से गतिमान है। उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तथा सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें अपर जिलाधिकारी हरिद्वार, जिला उद्यान अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य होगें। यह समिति भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव का परीक्षण करते हुये आख्या प्रस्तुत करेगी जिसपर अन्तिम निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष /आयुक्त गढ़वाल मण्डल को अधिकृत किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

अन्त में उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष / आयुक्त महोदय का विशेष आभार व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

16.01.07

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner